10–विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकान्टेंट द्वारा सम्प्रीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक व जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू0हा0 स्कूल/अंग्रेजी माध्यम/2020–21/1/4 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार /स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16 –सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

17– संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18– विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(एस0पी0सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया।

पृ0सं0/अंग्रेजी माध्यम मान्यता/2020–21 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)कानपुर मण्डल कानपुर।
3–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
4–कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया।

Principal
Seth Anandram Jaipuria School
Phaphund Road, Dibiyapur

कार्यालय — जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया।

पत्रांक–/अंग्रेजी माध्यम मान्यता/1134-37 /2020–21 दिनांक 23-6-2020

प्रबंधक,

ज्ञान स्थली इण्टरनेशनल स्कूल

फफूँद रोड दिबियापुर

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

शासनादेश सं०–69/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11–01–2019 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार तथा अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनाँक 19.06.2020 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं **ज्ञान स्थली इण्टरनेशनल स्कूल फफूँद रोड दिबियापुर** को दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक कक्षा 6 से कक्षा 8 तक औपबन्धिक (एक वर्ष) के लिये मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है, और उसमे किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3–विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा मे बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4–पैरा–3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा, और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेग।

ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

iii. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

iv. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के, अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

viii. अध्यापक स्वय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों मे नियोजित नही करेंगे।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानकों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं–

क0सं0	विद्यालय मे उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	111083 वर्ग फुट
2	कुल निर्मित क्षेत्र	27825 वर्ग फुट (एक मंजिला)
3	क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	83259 वर्ग फुट
4	कक्षाओं की संख्या	05
5	प्रधानाध्यापक –सह कार्यालय– सह भण्डारागार के लिये कक्ष	3
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेय जल सुविधा	सबमर्सिबल पम्प/हैण्डपम्प उपलब्ध है।
8	बाधा रहित पहुँच	बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेल–कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

09– विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलाई जायेगी।

Principal
Seth Anandram Jaipuria School
Phaphund Road, Dibiyapur